Court of District Judge-II-cum-Motor Accident Claims Tribunal, DARBHANGA
Claim Case- 64/2012
Reg.-124/2014
Present: Santosh Kumar Pandey, District Judge-II-cum-Motor Accident Claims Tribunal, Darbhanga
Mumina Khatun @ Majnabina versus Triloki Sarraf & ors

न्यायालयः जिला न्यायाधीश, द्वितीय–सह– मोटरयान दुर्घटना दावा प्राधिकरण, दरभंगा
वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा वाद–64/2012
रजिस्ट्रेशन संख्या– 124/2014

==

1. मुमीना खातुन उर्फ मजनाबीना, पति स्व0 जमशेद खान,
निवासी–ग्राम–मिर्जापुर जगनी, पोस्ट–रामपुरा, भाया–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा....दावाकर्ता/आवेदिका

बनाम

1. त्रिलोकी सर्राफ, पे0–भरत सर्राफ
निवासी–ग्राम + पोस्ट–पानागढ़ बाजार, थाना–पानागढ़,
जिला–वर्धमान, पश्चिम बंगाल.............विपक्षी प्रथम पक्ष/ट्रक संख्या **JH20A-2059** के मालिक
2. संजय झा, पे0–बलदेव झा
निवासी–ग्राम + पोस्ट–तजीबानो, जिला–रायपुर(छत्तीसगढ़)
.................विपक्षी द्वितीय पक्ष/ट्रक संख्या **JH20A-2059** के चालक
3. बैजु प्रसाद, पे0–श्री साव
निवासी–ग्राम + पोस्ट–बस्तवारा, थाना – सिमरी, जिला – दरभंगा।
.................विपक्षी तृतीय पक्ष/स्कार्पियो संख्या **JH01F-5220** के मालिक
4. शाखा प्रबंधक, बजाज एलाएन्ज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
504, महावीर टावर, चर्च कॉमप्लेक्स के सामने, मैन रोड, रांची.......विपक्षी चतुर्थ पक्ष/बीमा कंपनी

==

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता...श्री कौशलेन्द्र नारायण श्रीवास्तव,
विपक्षी प्रथम पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता.......................................कोई नहीं
विपक्षी द्वितीय पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता....................................कोई नहीं
विपक्षी तृतीय पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता......................................कोई नहीं
विपक्षी चतुर्थ पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता.......................................श्री जवाहर कुमार झा

==

दिनांक 29वीं जून, 2026

उपस्थित : संतोष कुमार पाण्डेय,
जिला न्यायाधीश, द्वितीय,
–सह–मोटर यान दुर्घटना दावा प्राधिकरण,
दरभंगा

निर्णय

1. प्रस्तुत वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा वाद आवेदिका **मुमीना खातुन उर्फ मजनाबीना** की ओर से चार विपक्षीगण त्रिलोकी सर्राफ एवं अन्य के विरूद्ध दायर कर कुल 5,00,000/– रूपये राशि की क्षतिपूर्ति मॉग की गई है। आगे दावा वाद में कहा गया है कि मृतका साईका, जिनकी मृत्यु दुर्घटना में हुई है, मृत्यु के समय उनकी आयु 07 वर्ष थी तथा आवेदिका मृतका की माता है।

2. दुघर्टना के सबंध में संक्षिप्त सारांश सूचक मो0 रूस्तम खॉ के फर्दबयान के अनुसार यह है कि उनके दामाद मो0 जमशेद पिता अफजल सउदी, रेयाद से नौकरी कर वापस दिल्ली आए तथा दिल्ली से स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से दरभंगा रात 9 बजे स्टेशन पहुंचे। वहां से उन्होंने करीब 10 बजे रात में सूचित किया कि दरभंगा स्टेशन से वे वस्तवारा के स्कार्पियो संख्या JH01F/5220 से साथ में उनके वालिद, उनकी दोनों बेटी सलमा, साईका, आफरनी, मो0 मुलाजिम, मसूद आलम तथा मो0 जुबैर अख्तर सवार थे। स्कार्पियो का चालक मो0 मुन्ना के साथ चले हैं। जब वे लोग 12 बजे रात तक नहीं लौटे तब उन्हें चिंता हुई। उन्होंने अपने बगलगीर मो0 सउद आलम को बुलाया तथा कहा कि चलिए देखा जाय। मोटरसाईकिल की व्यवस्था करके वे लोग चले और शोभन पहुंचे तो पुलिस से मुलाकात हुई तो पता चला कि स्कार्पियो संख्या JH01F/5220 क्षतिग्रस्त है। गाड़ी का पर्चा–पर्चा हो चुका है चारों तरफ खून बिखड़ा पड़ा है तथा उसके बगल में बोल्डर पर एक ट्रक संख्या JH20A/2059 चढ़ी हुई है। उसका चालक फरार है। ट्रक पर सिमेंट लोड था। वहां पता चला कि स्कार्पियों पर सवार सभी व्यक्ति और बच्चे की मौत हो चुकी है तथा लाश डीएमसीएच भेजा गया है। वहां स्कार्पियों संख्या JH01F/5220 के पास सारा समान टूटा हुआ पड़ा है। उनके ग्रामीण मुजाहिद जो जमशेद साहब को दिल्ली में दिनांक 26.03.2010 को स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन पकड़ाये थे ने बताया कि गाड़ी में कई सामान जो काफी कीमती थे, सभी दुर्घटना में बर्बाद हो गया। ट्रक चालक के तेजी एवं लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण यह घटना घटित हुई है।

3. उपरोक्त आशय का सूचक मो0 रूस्तम खॉ द्वारा सिमरी थाना, जिला दरभंगा के थानाध्यक्ष को दिये गये फर्दबयान के आधार पर सिमरी थाना कांड संख्या–41/2010, दिनांक 28.03.2010 अभियोग अन्तर्गत धारा–304ए, 279, 336, 337, 427 भा0द0वि0 के सबंध में ट्रक संख्या JH-20-A-2059 के चालक के विरूद्ध दर्ज है। इस दुर्घटना से सबंधित दर्ज कांड के सबंध में अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अनुसंधान कार्य भी किया गया और अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता ने घटना के प्राथमिकी के अनुरूप पूर्णतः सत्य पाकर उपरोक्त वाहन के तत्कालीन चालक संजय झा पुत्र राम शोभित झा के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–130/2010, दिनांक 26.10.2010 न्यायालय में दिनांक 04.11.2010 को समर्पित किया गया है। आगे दावा वाद में कहा गया है कि मृतक साईका की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी। इस कांड से सबंधित दुर्घटना करने वाले वाहन का पंजीकरण संख्या–JH-20-A-2059 हैं तथा वाहन शाखा प्रबंधक, बजाज एलाएन्ज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 504, महावीर टावर, चर्च कॉमप्लेक्स के सामने, मैन रोड, रांची से बीमित था। आवेदिका संख्या–1 मुमीना खातुन उर्फ मजनाबीना मृतक की मॉ है। आगे कहा गया है कि यह दुर्घटना ट्रक चालक द्वारा वाहन को काफी तेजी, लापरवाही एवं असावधानीपूर्वक चलाकर स्कार्पियों में धक्का मार देने के कारण घटी है, जिससे मृतक के परिवार को काफी क्षति हुई है। इसलिए कुल 5,00,000/–रूपया क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान कराया जाय। अतः उपरोक्त तथ्यों के

आलोक में दावा वाद यथायाचीत अनुतोषों के साथ स्वीकृत किया जाए।

4. विपक्षीगण के विरूद्ध सम्मन निर्गत किया गया। विपक्षी संख्या–4 इश्योंरेस कंपनी न्यायालय में उपस्थित हुये एवं अपना बयान तहरीरी न्यायालय में दाखिल किया। विपक्षी संख्या–1, विपक्षी संख्या–2 एवं विपक्षी संख्या–3 के विरूद्ध न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनायी गयी, परन्तु वे लोग न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

5. विपक्षी संख्या–4, बीमा कम्पनी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड ने अपना बयान तहरीरी प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि उपरोक्त वाद में लगाए गस सभी आरोप झूठे हैं और यह आवेदन तथ्यों या कानून के आधार पर प्रतिवादी के विरूद्ध विचारणीय नहीं है। अतः इस वाद को प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। दावा वाद में लगाए सभी आरोपों को स्वीकार नहीं करता है उनका खंडन करता है तथा आवेदक को उन सभी आरोपों का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। यह विपक्षी यह स्वीकार करता है कि त्रिलोकी सर्राफ का वाहन संख्या JH20A-2059 दुर्घटना के समय इस विपक्षी से बीमित था। जिसका पॉलिसी संख्या OG-11-2416-1803-00000067 था जिसकी वैधता दिनांक 26. 03.2010 से 25.03.2011 तक थी। आवेदक वाहन के मालिक को बीमा पॉलिसी प्रस्तुत करने और साबित करने का निर्देश दे सकता है ऐसा नहीं करने पर यह मान लिया जाएगा कि यह विपक्षी इस मामले में बीमाकर्ता नहीं है और इस विपक्षी का नाम मुआवजे सहित मामले से हटा दिया जाएगा। यह वाद विबंधन, अभित्यजन एंव मौनस्वीकृति के कानून द्वारा भी वर्जित है। यह मामला आवश्यक पक्षकारों के गैर शामिल होने और गलत तरीके से शामिल होने से भी प्रभावित है। दुर्घटना की तिथि को वाहन चलाने वाले व्यक्ति का वाहन चलाने के लिए कोई वैध संबंध नहीं था। यह निवेदन किया जाता है कि वाहन संख्या JH20A-2059 के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं और वह ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए योग्य भी नहीं था तथा उसने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम संख्या 3 की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं किया था। विपक्षी सं0 2 ने मोटर वाहन अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधान का उल्लंघन किया है। दुर्घटना के समय वाहन चालक शराब के नशे में था जिससे उसने बीमा पालिसी की शर्तो का उल्लंघन किया। यह वर्तमान दावा वाद धारा–166 मोटरवाहन अधिनियम के आधार पर दाखिल किया है और इसके पहले आवेदिका के द्वारा मोटरवाहन अधिनियम की धारा 140 के तहत " ON FAULT" के आधार पर दाखिल किया है और इसके पहले आवेदिका के द्वारा मोटरवाहन अधिनियम की धारा–140 के तहत " N0 FAULT" के आधार पर राशि प्राप्त हो चुकी है और इस कार्यवाही को दाखिल करने से पहले अलग से कार्यवाही हो गई थी,इसलिए वर्तमान दावा एस्टोपेल के सिद्धांत द्वारा बाधित है और ऐसे में आवेदिका के पास वर्तमान दावा

वाद दाखिल करने का कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है। विपक्षी ने वीना देवी एवं अन्य बनाम राम नंदन प्रसाद के मामले और यह विपक्षी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147 एवं 149 के तहत संरक्षण चाहता है। यह विपक्षी निवेदन करता है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134(सी) के अनुसार बीमित व्यक्ति का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह पॉलिसी का विवरण, दुर्घटना की तिथि, समय एवं स्थान, मृतक का विवरण, चालक का नाम एवं ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण प्रस्तुत करे, लेकिन बीमित व्यक्ति ने वैधानिक मांग का पालन नहीं किया है। अतः प्रतिवादी किसी भी प्रकार का मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है और वैधानिक मांग का पालन न करने के कारण प्रतिवादी के विरूद्ध मामल खारिज किया जाना चाहिए। यह विपक्षी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 158(6) के अनुसार संबंधित पुलिस स्टेशन का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह संबंधित बीमाकर्ता को सभी प्रासंगिक दस्तावेज 30 दिनों के अंदर अग्रेषित करे जबकि सिमरी पुलिस स्टेशन दस्तावेजों को अग्रेषित करने में विफल रहा। यह विपक्षी पक्ष निवेदन करता है कि बीमित व्यक्ति को परमिट के तहत अनुमत उदेश्य के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिए वाहन का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी पक्ष ने पॉलिसी की शर्तो के अनुसार पॉलिसी जारी की है। बीमित व्यक्ति ने बिना परमिट के वाहन चलाया है। अतः बीमित व्यक्ति ने पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन किया है। आवेदक 1995 में प्रकाशित निर्णय के अनुसार गैर–आर्थिक क्षति पर किसी भी प्रकार का ब्याज प्राप्त करने के हकदार नहीं है। यह विपक्षी इस आरोप को स्वीकार नहीं करता है और इसका खंडन करता है कि वाहन संख्या JH20A-2059 उपरोक्त कथित दुर्घटना में शामिल था और इसे लापरवाही और उग्रता से चलाया गया था। यह विपक्षी निवेदन करता है कि आवेदकों ने अपने दावा आवेदन के किसी भी अनुच्छेद में मृतक का नाम नहीं बताया है, इसलिए यह प्रतिवादी कैसे जान सकता है कि उक्त दुर्घटना में किसकी मृत्यु के लिए आवेदक द्वारा दावा किए गए मुआवजे के बारे में उसे जानकारी है। अतः दावा वाद अस्पष्ट है और इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। मृतक के नाम, आयु, आय एवं व्यवसाय के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ कागजी प्रमाण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। यह विपक्षी कथित दुर्घटना के घटित होने के तरीके से संबंधित आरोपों को स्वीकार नहीं करता और उनका खंडन करता है। आरोप यह है कि दिनांक 27.03.2010 को लगभग रात 9 बजे ट्रक एवं स्कोर्पियों की टक्कर हो गई जिससे मृतक की मृत्यु हो गई। इस संबंध में आवेदिका को दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यह आरोप लगाया गया है कि दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही के कारण हुई थी जिसके परिणामस्वरूप कथित मृत्यु हुई, इसलिए भी इस विपक्षी को किसी भी प्रकार के मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यह विपक्षी यह स्वीकार नहीं करता है और इंकार करता है कि सिमरी पुलिस ने वाहन संख्या JH20A-2059 के विरूद्ध सिमरी थाना कांड संख्या 41/2010 दर्ज किया है। आवेदिका को दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यह विपक्षी यह स्वीकार नहीं

करता है कि मृतक की मृत्यु उपरोक्त कथित दुर्घटना के कारण हुई थी और आवेदक को दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इसका साक्ष्य पेश करना होगा। यह विपक्षी इस न्यायालय से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 170 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 को उपलब सभी बचावों को लाभ और मोटरसाईकिल वाहन अधिनियम की धारा 149(2) के तहत निर्दिष्ट आरोपों के अलावा अन्य सभी आधारों पर मामलों का विरोध करने की अनुमति चाहता है। यह विपक्षी निवेदन करता है कि यह दुर्घटना दोनों वाहनों के मालिकों और चालकों की एकमात्र अप्रत्यक्ष लापरवाही के कारण हुई है। उक्त निजी स्कार्पियों व्यवसायिक उपयोग में थी जिसमें पिड़ित एवं अन्य 9 लोग यात्रा कर रहे थे। वही दूसरी ओर ट्रक बिना परमिट के चल रहा था और उसके चालक बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चला रहे थे। जिस कारण यह बीमा कंपनी किसी भी मृतक को कोई मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है और उक्त निजी वाहन के चालक/मालिक को ही किसी भी मुआवजे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उपरोक्त दुर्घटना की परिस्थितियों को देखते हुए यह विपक्षी आवेदक को धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा देने के दायित्व से इंकार करता है। यह विपक्षी को जब भी उसे बेहतर जानकारी प्राप्त हो एक अतिरिक्त प्रतिवाद दाखिल करने की अनुमति चाहता है। यह विपक्षी अपने किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि मृतिका कमाने वाली व्यक्ति नहीं है। आवेदक द्वारा मांगे गये मुआवजे या राहत पाने का हकदार नहीं है। यह विपक्षी आवेदक के किसी आरोप को स्वीकार नहीं करता है एवं आवेदक का दावा खारिज करने योग्य है, आगे बढ़ने लायक नहीं है क्योंकि आवेदक को मृतक के मृत्यु से कोई नुकसान नहीं हुआ है और मृतक स्वयं ही दुर्घटना के लिए अंशदायी रूप से जिम्मेवार है जिस कारण उसकी मृत्यु हुई है।

6. उल्लेखनीय है कि उभयपक्ष के दावा वाद एवं लिखित कथन के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दुओं का गठन किया गया है :-

(i) क्या यह दावा वाद विचारणीय है ?

(ii) क्या आवेदिका मृतिका के कानूनी वारिस/प्रतिनिधि है ?

(iii) क्या मृतिका साईका की मृत्यु 27.03.2010 को पंजीकरण संख्या JH20A-2059 वाले ट्रक के चालक की लापरवाही और तेज गति से वहान चलाने के कारण हुई थी ?

(iv) क्या दावेदार इस दावे के मामले को दाखिल करने की दिनांक से ब्याज सहित मुआवजा पाने का हकदार है ?

(v) क्या आवेदक/दावेदार उचित मुआवजे का हकदार है, किस हद तक और किससे ?

(vi) क्या मृतिका की बताई गई आय और आयु उचित है?

(vii) क्या आवेदिका कानून के अनुसार कोई अनुतोष या अनुतोषों को पाने का अधिकारी हैं ?

मंतब्य

7. अपने दावे के समर्थन में आवेदिका की ओर से कुल चार साक्षियों को साक्ष्य हेतु न्यायालय, में प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नलिखित हैः–

आवेदिका साक्षी संख्या–1 जमशेद खॉ,

आवेदिका साक्षी संख्या–2 मो0 रूसतम खॉ (सूचक एवं मृतका के नाना)

आवेदिका साक्षी संख्या–3 मुमीना खातुन (स्वंय आवेदिका)

आवेदिका साक्षी संख्या–4 मो0 इसरायल नद्‌दाफ हैं।

8. आवेदिका द्वारा अपने केस को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये :–

प्रदर्श–1– औपचारिक प्राथमिकी सिमरी थाना कांड संख्या–41/2010 की प्रमाणित प्रति,

प्रदर्श–2– सिमरी थाना कांड संख्या–41/2010 के आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति,

प्रदर्श–3– अन्त्यपरीक्षण प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति,

प्रदर्श–4– मृतिका साईका का मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति,

प्रदर्श–5– पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र का मूल प्रति,

प्रदर्श–6– आवेदिका का मूल आवासीय प्रमाण पत्र,

प्रदर्श–7– ड्राइविंग लाईसेंस की छायाप्रति,

प्रदर्श–8– ट्रक संख्या JH20A-2059 का रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति,

प्रदर्श–9– स्कार्पियो संख्या JH01F-5220 का रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति,

प्रदर्श–10–स्कार्पियों संख्या–JH01F-5220 बीमा कंपनी के कागजात की छायाप्रति,

प्रदर्श–11–ट्रक संख्या JH20A-2059 के बीमा के कागजात की छायाप्रति, है।

9. विपक्षी संख्या–4 इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, मगर उनके तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है :–

प्रदर्श–ए– अभिषेक शाही का दावा वाद संख्या–72/2012 के डिपोजीसन की प्रमाणित प्रति,

प्रदर्श–बी– संजय झा का ड्राइंविग लाइसेंस,

प्रदर्श–सी– आर0टी0ओ0,रायपुर के प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति है।

10. **आवेदिका साक्षी संख्या–1 अब्दुल सत्तार** हैं, इन्होनें अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह इस केस की आवेदिका को जानता है एवं मृतक साईका को भी जानता था जो आवेदिका मुमीना खातुन की लड़की थी। मृतिका साईका की मृत्यु दिनांक 27.03.2010

को रात्रि 09:30 बजे दरभंगा रेलवे स्टेशन से लौटने के क्रम में सोभन कंसी गांव के बीच में एनएच–57 सड़क पर हो गई, जिसकी सूचना उनलोगों को रात 12 बजे हुई। मृतका साईका पढ़ने में तेज थी। उसकी मृत्यु से उसकी मॉ को काफी दिक्कत हो गया तथा उसके भविष्य के प्रति काफी आशान्वित थी। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में कुछ भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है।

11. **आवेदिका साक्षी संख्या–2 मो0 रूसतम खान** हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि इस केस की वादी मुमीना खातुन उनकी लड़की है और मृतका साईका उनकी नतिनी थी। दिनांक 27.03.2010 को उनके दामाद जमशेद खॉ जो सउदी से आ रहे थे जिन्हें दरभंगा स्टेशन से घर लाने हेतु घर से उनके पिता एवं दोनों लड़की, एक भतीजी एवं अन्य दोस्त एवं सम्बन्धी कुल 8 आदमी स्कार्पियो से गये थे, जिन सभी की मृत्यु ट्रक के चालक द्वारा स्कार्पियों को एन0एच0–57 पर सोभन कंसी गांव के बीच ठोकर मार देने से हो गई। उक्त दुर्घटना की सूचना उसे गांव के चौकीदार दिलीप पासवान से रात्रि लगभग 12 बजे हुई, तब ये लोग गांव के कुछ लोगों के साथ जीप से सोभन पहुंचे तो देखा कि वहां पर एक चौकीदार एवं कुछ मजदूर जो सड़क बनाने में रहता था, उनलोगों से पता चला कि सभी मृतक को डीएमसीएच भेज दिया गया तब वेलोग दरभंगा अस्पताल पहुॅचे। दूसरे दिन समय लगभग 5–6 बजे शाम में तीन एम्बुलेंस पर शव पोस्टमार्टम के बाद लाया गया, जिन सभी को रामपुरा में ही चालक के शव को छोड़कर दफनाया गया, जिसमें वह भी शामिल थे। मृतक साईका पढ़ने में बहुत तेज थी उसके पढ़ाई से सभी बहुत खुश रहते थे, उससे भविष्य से सभी को बहुत उम्मीदे थी। साइका एवं सलमा की एवं उसके पिता जमशेद तथा बाबा अफजल सभी की मृत्यु एक साथ उक्त दुर्घटना में हो गई, जिससे उनकी लड़की मुमीना काफी टूट गई तथा उसे अपनी बड़ी लड़की सुरैया की शादी की चिंता हमेशा बनी रहती है। इसने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह आज दावा वाद 64/65 में गवाही देने आये है। यह घटना 27.03.2010 को नौ बजे रात्रि में हुई थी। दरभंगा स्टेशन से वे लोग उनके दामाद को लाने गये थे। ट्रक ने कंसी और सोभन के बीच स्कार्पियो को धक्का मार दिया, जिससे यह घटना हुई। मृतका छात्रा थी। ऐसी बात नहीं है कि ट्रक चालक ओर स्कार्पियो चालक के पास लाइसेंस नहीं था और साथ हीं ट्रक के पास परमिट भी नहीं था। स्कार्पियो का परिचालन व्यवसायिक रूप में किया जा रहा था। ऐसी बात नहीं है कि ऐसी दुर्घटना में बीमा कंपनी की क्षतिपूर्ति का जिम्मेवार नहीं है।

12. **आवेदिका साक्षी संख्या–3 मुमीना खातुन** हैं, जो इस वाद में आवेदिका भी है, इन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह इस वाद की आवेदिका है। साईका उनकी लड़की थी जिसकी मृत्यु दिनांक 27.03.2010 को समय लगभग 09:30 बजे रात में कंसी सोभन गांव के बीच फोर लेन सड़क पर ट्रक चालक द्वारा स्कार्पियों गाड़ी जिसमें वह सवार थी को

ठोकर मार देने से हो गई। उनके पति अरब से दिल्ली दिनांक 26.03.2010 को फ्लाईट से सुबह 4 बजे दिल्ली पहुंचे थे एवं दिल्ली से उसी दिन स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन से दरभंगा के लिए चल दिये थे। दिनांक 27.03.2010 को दरभंगा स्टेशन से उनके पति मो0 जमशेद खॉ को लाने के लिए, उनके ससुर के अलावे उनकी दो छोटी बेटी, भतीजी, दोस्त एवं संबंधी कुछ 8 आदमी स्कार्पियो गाड़ी से अपने गांव से लगभग 3 बजे शाम में चले थे तथा उनके पति को लेकर दरभंगा स्टेशन से घर जाने के क्रम में स्कार्पियों गाड़ी को ट्रक चालक द्वारा ठोकर मार देने से हो गई। मृतक सलमा एवं साइका दोनों बहन पढ़ने में काफी तेज थी। दोनों बहन की मृत्यु के साथ–साथ अपने पति, ससुर, जईधी एक ही घर में पांच–पांच व्यक्ति की मृत्यु से घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो जाने के साथ मानसिक रूप से भी काफी दुखी रहती है अपनी शेष तीन पुत्रियों के जीवन हेतु किसी प्रकार जिंदगी जी रही है। इसने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह आवेदिका है। उनकी बेटी ही मृतका थी। उसकी मृत्यु इस दुर्घटना में हो गई। बच्ची की उम्र–05 साल थी। वह घटना अपनी आंखो से नहीं देखी थी। ऐसी बात नहीं है कि दो गाड़ी MV Act के निमानुकुल नहीं चल रही थी, इसलिए बीमा कंपनी आर्थिक क्षतिपूर्ति का जिम्मेदार नहीं है।

13. **आवेदिका साक्षी संख्या–4 मो0 इसरायल नद्दाफ** हैं, इन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह इस केस की वादिनी मुमीना को जानता है एवं मृतक साईका को भी जानता था। मृतका साईका की मृत्यु मोटर दुर्घटना में दिनांक 27.03.2010 को एनएव–57 पर सोभन–कंसी गांव के बीच रात्रि लगभग 9:30 बजे हो गई। मृतक सलमा एवं साइका दोनों बहन अपने पिता को लाने अपने बाबा एवं अन्य लोगों के साथ घर से दरभंगा स्टेशन गई थी एवं लौटने के क्रम में यह दुर्घटना ट्रक के ठोकर मार देने से हो गई। सलमा एवं साइका दोनों बहन पढ़ने में तेज थी। एक ही परिवार के पांच लोगों की मृत्यु से आवेदिका काफी आहत हो गई जो अभी तक उस दुख से उबर नहीं सकी है। इसने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह घटना नहीं देखा है। मृतका की इस घटना में परिवार समेत मृत्यु हुई। मृतका छात्रा थी। ऐसी बात नहीं है कि स्कार्पियो एवं ट्रक का परिचालन वैध था और बीमा कंपनी इसके आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है।

14. मौखिक बहस में आवेदिका के विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए, कहा गया कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही से यह सिद्ध हो चुका है कि मृतक साईका की मृत्यु ट्रक निबंधन संख्या JH20A-2059 के चालक द्वारा ट्रक को असावधानीपूर्वक एवं लापरवाही तरीके से चलाने के कारण हुआ था। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बहस में कहा गया कि पूर्व में इस वाद के पोषनीयता पर प्रश्न उठाया गया था जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2015 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के श्रीमति कुसुनुमा बेगम एवं अन्य बनाम दी न्यू इंडिया एश्योरेंस को0 लि0, दिनांक 03.01.2001 (सिविल

अपील नम्बर 6/2001, Special leave petition, civil 1431/2000) के आलोक में एम0वी0 क्लेम केस 64/2012 arising out of सिमरी थाना कांड संख्या– 141/2010, के अंतर्गत कहा कि The opposite party insurance company filed petition to the same effect in claim case no. 70/2012, 65/2012, 72/2012, 59/2012 and 73/2012 challenging the maintainability of claim case refferred above. अपने आदेश में ही पोषीयता पर उपरोक्त सभी क्लेम वाद की पोषणीयता पर न्यायालय ने कहा कि ...I am in full agreement with fule refferred by learned counsel of claimant. The rule cited by learned counsel of insurance company is not applicable in the present case at hand. In above view of he matter claim petitions referred above are maintainable and petitions filed aforesaid claim case on behalf of Insurance company being devoid of any merit and same and rejected. इसप्रकार आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का पुनः कहना है कि सिमरी पीएस केस नम्बर 41/2010 के दुर्घटना में मृतकों की ओर से जितने भी दावा वाद दाखिल किये गए है, उसमें पोषणीयता का कोई प्रश्न नहीं है भले ही यह दावा वाद 65/12, धारा–140 के अंतर्गत अंतरिम प्रतिकर प्राप्त करने के बाद दाखिल किया गया है। यह भी कहा गया कि माननीय पटना उच्च न्यायालय का जिस निर्णय का हवाला विपक्षी संख्या–4 के अधिवक्ता द्वारा दिया जा रहा है वर्ष 2013 का है जबकि दावा वाद वर्ष 2012 में दाखिल किया गया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा डिविजलन बेंच के दो निर्णय The New India Assurance Co. Ltd. Vs Faida Hussain & anr. LPA No. 1070 of 2001, dated 12.10.2001 एवं Ratan Kumar and another Versus Navin kumar in LPA No. 1051/2000 का भी जिक्र किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का अब कहना है कि साक्षियों के अनुसार चालक के द्वारा घटना के समय ट्रक को तेजी वो लापरवाही से चलाई जा रही थी, जिस कारण दुर्घटना हो गई। उसमें मृतिका बच्ची का कोई दोष नहीं था, अतः आवेदिका दावे की राशि प्राप्त करने की अधिकारी है। जिसके समर्थन में विभिन्न कागजात (प्रदर्श–1 से 11) न्यायालय में दाखिल किया गया हैं।

15. विपक्षी चतुर्थ पक्ष बीमा कंपनी की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि कथित दुर्घटना कारित करनेवाला वाहन का चालक, बिना वैध लाइसेंस, परमिट के वाहन को चला रहा था। उसके चालक/ड्राईवर संजय झा का जो डीएल दिखाने का प्रयास किया गया है वह छत्तीसगढ़ से निर्गत था, लेकिन जब कम्पनी द्वारा उसके बारे में पता किया गया तो डीएल ऑफिस द्वारा यह कहा गया कि उसके द्वारा संजय झा का डीएल निर्गत नहीं किया गया है। कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि स्कार्पियो पर दस व्यक्ति

सवार थे तथा उनका पता अलग—अलग जगह का था। स्कार्पियो का ड्राइवर मो0 मुन्ना जो कि खुद भी उस घटना में मर गया, उसके पास डीएल था, लेकिन कॉमर्सियल डीएल नहीं था। उसके द्वारा भी इंश्योरेंस पॉलिसी का उल्लंघन किया गया है। उनके दृष्टि में निजी स्कार्पियो को कॉमर्सियल व्यवसाय के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उनके द्वारा लिगल ऑफिसर की गवाही दावा वाद 72/2012 में भी कराई गई है। इसलिए इश्योरेंस कंपनी क्षतिपूर्ति भुगतान करने के उत्तरदायी नहीं है, अगर क्षतिपूर्ति भुगतान करने का आदेश दिया जाता है तो उसे विपक्षी संख्या—1 से विधिसम्मत् तरीके से वसूलने का आदेश दिया जाए। कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पूनः बहस में **वीणा देवी बनाम रामनन्दन प्रसाद दिनांक 31.01.2013 एवं इंडियन एश्युरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम शेखर भगत दिनांक 16.07.2018** के बाद के निर्णय को दोहराया गया है और वाद के पोषणीयता पर सवाल उठाया गया है।

उपरोक्त बिन्दु पर दोनो पक्षों के बहस सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन से निम्नलिखित ऐसे तथ्य प्रकट होते है जो आवेदिका का दावा वाद पोषनीय बनाते है।

(i) चूँकि दोनों दावा वाद दिनांक 21.05.2012 को दाखिल है जबकि माननीय न्यायालय का निर्णय वर्ष 2013 एवं वर्ष 2018 का है। विपक्षी संख्या—4 द्वारा वर्ष 2026 में निर्णय के समय पुनः पोषणीयता पर सवाल उठाया गया जबकि इस क्लेम वाद में दिनांक 21.01.2015 के आदेश से पोषणीयता के प्रश्न को निस्तारित कर दिया गया है। (ii) चूँकि मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दावा वाद के संबंध में हितकारी दृष्टिकोण अपनाने की बात सुझाई गई है। इस अधिनियम की प्रस्तावना समाजिक हित को इंगित करता है। अतः उस दृष्टिकोण से भी इस न्यायालय का मत है कि महज अंतरिम प्रतिकर की राशि प्राप्त कर लेना अंतिम प्रतिकर की राशि प्राप्त करने से प्रतिबंधित नही होना चाहिए। (iii) चूँकि विपक्षी संख्या—4 द्वारा दाखिल किया गया रूलिंग्स इस दावा वाद के तथ्यों के अनुसार पूर्णतः लागू नहीं होता है तथा यह दावा वाद—64/2012 इस न्यायालय की दृष्टि में भी पोषणीय है। इस संदर्भ में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दाखिल रूलिंग्स The New India Assurance Co. Ltd. Vs Faida Hussain & anr. LPA No. 1070 of 2001, dated 12.10.2001 भी विचारणीय है जिसमें यह धारित किया गया है कि "the Act not create any bar, express or implied to the filing of any applicaion u/s 140 directly without filing u/s 166 right ot claim compensation u/s 140 is in additon to any other right- It cannot be made dependent on filing of claim u/s 166- in claims for structure compensation (section 163-A) or fault compensation (166) the amount of compensation payable or paid u/s 140 is to be deducted from the amount found payable u/s 163-A or 166- an applicaion u/s 140 has to be dispossed of independently in accordance with the provision of chapter X of the Act which have an over-riding effect." उपरोक्त निर्णय के पूर्व Ratan Kumar and another Versus Navin kumar in LPA No. 1051/2000 के वाद में भी धारित विधि विचारणीय है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय श्रीमति कुसुनुमा बेगम एवं अन्य बनाम दी न्यू

इंडिया एश्योरेंस को0 लि0, दिनांक 03.01.2001 (सिविल अपील नम्बर 6/2001, Special leave petition, civil 1431/2000) निर्णय भी मार्गदर्शक है। (iv) चूँकि धारा 140 एमवी एक्ट के प्रावधान चैपटर 10 में है जबकि धारा 166 एमवी एक्ट के प्रावधान चैपटर 12 में है। धारा–144 में ओवर राईडिंग एफेक्ट को बताया गया है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण बात है कि धारा 140 के अंतर्गत आवेदिका द्वारा प्राप्त की गई राशि धारा 166 के अंतर्गत आदेश की गई प्रतिकर की राशि में से घटा दिया गया है। (v) उपरोक्त सभी तथ्य के विचारणीय होने के साथ साथ विपक्षी संख्या–4 को इस दावा वाद में कोई वास्तविक एवं सारगर्भित त्रुटि पाये जाने पर या विपक्षी द्वारा प्रश्न उठाये जाने पर उसे राईट टू रिकॉभरी का अधिकार दिये जाने का मत न्यायोचित होगा।

16. विवादित वाद बिन्दु संख्या–II, III, IV & V

चूँकि चारों वाद बिन्दु एक दूसरे से सम्बद्ध है, इसलिए इन चारों को एक साथ निर्णीत किया जा रहा है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत साक्षियों में से **आवेदिका साक्षी संख्या–3 मुमीना खातुन,** स्वंय आवेदिका संख्या–1 हैं, इन्होंने कथन किया है कि उनकी मृतिका पुत्री साईका अपने पिताजी एवं अन्य के साथ दरभंगा स्टेशन से स्कार्पियो से अपने घर वापस आ रही थी कि उसी समय सोभन–कंसी गावं के पास एक ट्रक काफी तेजी एवं लापरवही से आकर स्कार्पियों में ठोकर मार दिया। जिससे स्कार्पियों में सवार सभी 10 लोगों की मृत्यु दुर्घटनास्थल पर ही हो गई। आवेदिका के पुत्री के असमायिक मृत्यु से उसे एवं उनके परिवार को काफी दुख एवं सदमा हुआ है। आवेदिका ने क्षतिपूर्ति के रूप में मो0 05 लाख रूपया का दावा किया है। आवेदिका साक्षी संख्या–1 जमशेद खॉ, आवेदिका साक्षी संख्या–2 मो0 रूसतम खॉ (सूचक एवं मृतका के नाना) एवं आवेदिका साक्षी संख्या–4 मो0 इसरायल नद्दाफ ने भी आवेदिका साक्षी संख्या–3 (आवेदिका) के कथन का पूर्णतया समर्थन किया है। **प्रदर्श–8** के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटनाकारित वाहन के स्वामी श्री त्रिलोकी सराफ थे और **प्रदर्श–10** संबंधित ट्रक निबंधन संख्या– JH20A-2059 के इंश्योरेंस पॉलिसी की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन दिनांक 26.03.2010 से 25.03.2011 तक वैद्य रूप से बजाज एलाएन्ज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 504, महावीर टावर, चर्च कॉमप्लेक्स के सामने, मैन रोड, रांची से घटना तिथि दिनांक 27.03.2010 को पूर्ण रूप से बीमाकृत थी। **प्रदर्श–1** औपचारिक प्राथमिकी सिमरी थाना कांड संख्या–41/2010 की प्रमाणिक प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचक रूस्तम खॉ के फर्दब्यान के आधार पर सिमरी थाना कांड संख्या–41/2010 अन्तर्गत धारा–279, 336, 337, 427 एवं 304ए भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत ट्रक संख्या–JH20A-2059 के चालक के विरूद्ध दर्ज किया गया है। **प्रदर्श–2** सिमरी थाना कांड संख्या–41/2010 के आरोप पत्र की प्रमाणिक प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोप पत्र संख्या–130/2010 दिनांक 26.10.2010 को धारा–279, 337, 338, 427 एवं 304ए भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत चालक संजय झा के विरूद्ध समर्पित किया गया है। **प्रदर्श–3** मृतिका साईका का अन्त्यरीक्षण

प्रतिवेदन है। **प्रदर्श–5** पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादपत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदिका मुमीना खातुन उर्फ मजनाबीना मृतिका साईका की मॉ हैं। इस प्रकार आवेदिका मृतिका स्व0 साईका की वैघ उत्तराधिकारी है। मृतक साईका की मृत्यु के कारण आवेदिका क्षतिपूर्ति की दावेदार है और दावा वाद उचित है। अतः यह निष्कर्षित किया जाता है कि मृतिका साईका की मृत्यु उस दुर्घटना में हुई और इसमें उसकी कोई लापरवाही नहीं थी और और विधिक उत्तराधिकारी एवं आश्रित होने के कारण आवेदिका क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने की अधिकारी है तथा उक्त ट्र्क को चालक संजय झा चला रहे थे, जिसके वाहन मालिक श्री त्रिलोक सरार्फ थे तथा वाहन बजाज एलाएन्ज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 504, महावीर टावर, चर्च कॉमप्लेक्स के सामने, मैन रोड, रांची से घटना तिथि दिनांक 27.03.2010 को पूर्ण रूप से बीमाकृत थी। आवेदिका/दावाकर्ता दावा वाद दाखिल करने की तिथी से विपक्षी संख्या–4 बजाज एलाएन्ज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से मुआवजा पाने के हकदार है। इसप्रकार उपरोक्त चारों विवादित वाद बिन्दु आवेदिका के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

17. **<u>विवादित वाद बिन्दु संख्या–VI & VII</u>**

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि दावा आवेदन पत्र के अनुसार मृतिका की आयु 07 वर्ष तथा अन्त्यपरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार भी 07 वर्ष बताया गया है। चूॅकि मृतिका नाबालिग थी, अतः उसके आय का कोई स्त्रोत नहीं था। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आवेदिका क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी है तथा वह अन्य अनुतोषों को प्राप्त करने के भी अधिकारी है और चूॅकि संबंधित वाहन घटना तिथि को वैध रूप से बीमित थी, इसलिए क्षतिपूर्ति की राशि की भुगतान विपक्षी इंश्योंरेस कंपनी द्वारा की जायेगी। अतः ये दोनों विवादित वाद बिन्दु आवेदिका के पक्ष में विनिश्चत किया जाता है।

18. अब न्यायालय को यह तय करना है कि आवेदिका को कितनी राशि देय होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई महत्वपूर्ण फैसलों में Just compensation की बात कही है तथा उसके निर्धारण हेतु भी निर्देश दिए है। प्राथमिक जिम्मेवारी तो भुगतान हेतु वाहन मालिक एवं वाहन चालक की है, जो विपक्षी संख्या–एक एवं दो बनाए गए है। लेकिन चूॅकि ट्र्क संख्या–JH20A-2059 विपक्षी संख्या 4 बीमा कम्पनी के बीमा से अच्छादित था। अतः क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान उक्त इंश्योंरेस कंपनी को हीं करना है। **सरला वर्मा व अन्य बनाम दिल्ली ट्रंस्पोर्ट कारपोरेशन व अन्य (2009) 6 SCC 121** व **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड कम्पनी बनाम प्रणय सेठी 2017** के वाद के अनुसार गुणक(multiplier) होना चाहिए। यहां हमें एक प्रसिद्ध वाद Taff Vale Rly. Vs. Jankins 1913 AC 1 को अवश्य ध्यान में

रखना चाहिए जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि :–

“ all that is necessary is that a reasonable expectation of pecuniary benefit should be entertained by the person who sues. It is quite true that the existence of this expectation is an inference of fact – there must be a basis of fact from which the inference can reasonably be drawn; but I wish to express my emphatic dissent from the proposition that it is necessary that two of the facts without which the inference cannot be drawn are, first, that the deceased earned money in the past and second that he or she contributed to the support of the plaintiff. There are, no doubt, pregnant pieces of evidence; and the necessary inference can, I think, be drawn from circumstances other than and different from them.”

उक्त निर्णय को ही ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Kurvan Ansari @ Kurvan Ali & another Shyam Kishore Murmu and another (2022) 1 SCC 317, wherein a child aged about 7 years died in a road accident took place on 06.09.2004, the court taking a notional income as Rs. 25,000/- applying the multiplier of 15, calculated the loss of dependency as Rs. 3,75,000/- and adding Rs. 55,000/- in conventional heads, awarded Rs. 4,70,000/-

ऐसे ही कुछ निर्णयों के आधार पर बच्चे की दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में नोशनल आय 15,000/– रूपये से बढाकर कृष्ण गोपाल के केस में 30,000/– व कुरबान अंसारी के केस में 25,000/– रूपये कर दी गयी । अतः उक्त निर्णय के आलोक में क्षतिपूर्ति की गणना इस प्रकार है :–

सबसे पहले मृतक की नोशनल आय वार्षिक आय 25,000/–निर्धारित की जाती है। उक्त निर्णय के आलोक में क्षतिपूर्ती दुर्घटना वर्ष 2010 की है। अनत्यपरीक्षण के अनुसार दुर्घटना के समय **मृतक की आयु 07 वर्ष थी।** दावाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य अन्त्यपरीक्षण प्रतिवेदन जिसे **प्रदर्श–3** अंकित कराया गया है। उसमें भी मृतक की आयु चिकित्सक द्वारा 07 वर्ष आकलन किया गया है। जबकि **प्रदर्श–4** मृत्यु प्रमाण पत्र है उसमे आयु 07 वर्ष बताया गया है। दोनो ही दस्तावेज के अनुसार मृतिका अवयस्क है। अतः वाद बिन्दु संख्या–VI का द्वितीय भाग भी आवेदिका के पक्ष में निर्णीत किया जाता है। वाद बिन्दु संख्या–VI का प्रथम भाग अवयस्क के आय के संबंध में उपर विश्लेषित किया गया है। माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार अवयस्क होने की दशा में 15 का गुणांक (multiplier) आकर्षित होगा। अतः वास्तविक आय 25000 x 15 = **3,75,000/-** रूपया होगा। Loss of Filial Consortium for Mother and father को 44000+44000 =88,000 रूपया दिया जाता है, तथा दाह–संस्कार के खर्चा के मद में 16500/– रूपया दिया जाता है। अतः कुल देय क्षतिपूर्ति की राशि 4,79,500/– रूपया होगा। अतः अब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों के आलोक में क्षतिपूर्ति की परिगणना का सारणी इस

प्रकार है –

1	नोशनल आय (कुरबान अंसारी के निर्णय के अनुसार)		25,000/-.
2	गुणांक (15 आकर्षित)	25,000 x15	3,75,000/रू0
3	Loss of filial consortium for Father and Mother (10% वृद्धि प्रत्येक 03 वर्ष के साथ	44,000+44,000	88,000/- रू0
4	दाह संस्कार में खर्चा (10% वृद्धि प्रत्येक 03 वर्ष के साथ एक बार)	15000+1500	16500/-
5	(क्रम संख्या– 2 से 4 का जोड़) कुल राशि		4,79,500/-
6	अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में दावाकर्ता द्वारा प्राप्त राशि	50000	-50,000/-
7	**कुल देय क्षतिपूर्ति की राशि**		4,29,500/-

इसप्रकार आवेदिका को कुल 4,29,500/– (चार लाख उन्तीस हजार पॉच सौ रूपये मात्र) रूपया मूल रूप से प्रतिकर के रूप में देय होगा।

19. **विवादित वाद बिन्दु संख्या–I**

चूॅकि उपरोक्त विवादित वाद बिन्दु संख्या–II, III , IV, V, VI, VII द्वारा निष्कर्षित किया गया है कि आवेदिका को वाद दाखिल करने का वाद कारण प्राप्त था तथा आवेदिका का दावा वाद, जिस रूप में दाखिल है, पोषणीय है। प्रदर्श–5 से स्पष्ट है कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन बीमा पॉलिसी नम्बर– पॉलिसी संख्या OG-11-2416-1803-00000067 था जिसकी वैधता दिनांक 26.03.2010 से 25.03.2011 तक वैद्य रूप से बजाज एलाएन्ज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से घटना तिथि 27.03.2010 को बीमित थी। अतः उपरोक्त वाद बिन्दु भी आवेदिका के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

20. **आ दे श**

आवेदक का प्रस्तुत दावा वाद ससंघर्ष स्वीकृत करते हुए, विपक्षी संख्या–4 शाखा प्रबंधक, बजाज एलाएन्ज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 504, महावीर टावर, चर्च कॉमप्लेक्स के सामने, मैन रोड, रांची–834001 को आदेशित किया जाता है कि वे **आवेदिका मुमीना खातुन उर्फ मजनाबीना पति स्व0 जमशेद खान** के पक्ष में मो0–**4,29,500/-** (चार लाख उन्तीस हजार पॉच सौ रूपये मात्र) रूपये का चेक **07** प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिनांक 21.05.2012 से भुगतान करने के तिथि तक, जरिये स्थानीय चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इस निर्णय की तिथि से 90 दिन के अन्दर अदा करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि

<u>Court of District Judge-II-cum-Motor Accident Claims Tribunal, DARBHANGA</u>
Claim Case- <u>64/2012</u>
Reg.-124/2014
Present: Santosh Kumar Pandey, District Judge-II-cum-Motor Accident Claims Tribunal, Darbhanga
Mumina Khatun @ Majnabina versus Triloki Sarraf & ors

आवेदिका 50,000 रूपया अंतरिम क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त कर चुका है, इसलिए संपूर्ण राशि में से यह अंतरिम क्षतिपूर्ति की राशि घटा दी गई है **तथा अब कुल देय क्षतिपूर्ति की राशि 4,29,500/– रू0 है।** इसके अलावा आवेदिका अन्य किसी प्रकार का अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं होगी। साथ हीं **5000/–रूपया अधिवक्ता व्यय एवं 5000/–वाद व्यय** के रूप में अलग से प्राप्त करने के अधिकारी होगें। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिवक्ता व्यय एवं वाद व्यय में किसी तरह का ब्याज नहीं जोड़ा जाएगा। विपक्षी संख्या–4 के द्वारा उपरोक्त भुगतान में असफल रहने पर आवेदिका को यह स्वतंत्रता रहेगी कि वे विधि की प्रक्रिया द्वारा उपरोक्त धनराशि वसूल कर लेवें। कार्यालय पंचाट (Award) बनाने के पूर्व सिरिस्तेदार से न्यायशुल्क अगर देय हो तो प्रतिवेदन की मॉग करें एवं बकाये न्यायशुल्क भुगतान के पश्चात हीं पंचाट (Award) तैयार करें। विपक्षी संख्या–4 इंश्योंरेस कंपनी को अधिकार होगा कि वह भुगतेय राशि को विपक्षी प्रथम पक्ष से परमिट नहीं प्रस्तुत करने एवं लाइसेंस गलत देने के कारण या अन्य कोई त्रुटि की स्थिति में वह भुगतेय राशि को विधिसम्मत तरीके से विपक्षी प्रथम पक्ष से वसूल कर सकेंगे।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित,

जिला न्यायाधीश–सह–दावा
निर्धारण प्राधिकरण, द्वितीय, दरभंगा
29 वीं जून 2026

(संतोष कुमार पाण्डेय)
जिला न्यायाधीश–सह–दावा
निर्धारण प्राधिकरण,प्रथम दरभंगा
29वीं जून 2026